



नीम आधारित उत्पादों के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन

परिचय

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा समर्थित, मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में डीडीटी के अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक (Non POPs) विकल्पों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम कर रहे हैं। इनमें नीम (*Azadirachta indica*) आधारित कीटनाशक शामिल हैं, जो सबसे अधिक शक्तिशाली जैव-कीटनाशकों में से एक के रूप में तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। नीम व्युत्पन्न उत्पादों ने मलेरिया सहित अनेक वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ विविध कीटनाशक गुण दिखाए हैं। इसके अलावा, नीम आधारित ये उत्पाद सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल हैं, और मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी के स्थायी विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। इस समय, भारत में, नीम आधारित उत्पादों को केवल खुदरा बाजार में बेचने की अनुमति है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) द्वारा **अजाडिरेक्टिन युक्त नीम आधारित उत्पादों** को घरेलू कीटनाशकों के रूप में अनुमोदित किया जाता है। पौष्टिक घटक के रूप में नीम के पौधे के किसी भी हिस्से से युक्त किसी भी फॉर्मूलेशन को **आयुर्वेदिक दवा** के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

मार्गदर्शन

वेक्टर नियंत्रण के लिए नीम आधारित उत्पादों के सभी उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित पर विचार करना आवश्यक है:

- ✓ 'उपयोग के लिए निर्देश', 'उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां', और लेबल पर 'उत्पाद की उपयुक्तता' को उपयोग से पहले अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
- ✓ उत्पाद का उपयोग केवल इसके निर्देशित उद्देश्यों के लिए करें। उदाहरण के लिए, मच्छर-विकर्षक क्रीम का उद्देश्य किसी भी बीमारी या बीमारी का निदान, रोकथाम, इलाज या उपचार नहीं है।
- ✓ यदि उत्पाद बाहरी उपयोग के लिए है, जैसे कि रूम स्प्रे, तो इसे शरीर पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ✓ नीम आधारित उत्पादों को लेबल पर निर्दिष्ट शर्तों के तहत संग्रहीत किया जाना चाहिए।
- ✓ केवल नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित और उपयोग करने के लिए सुरक्षित उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ✓ समाप्ति तिथि की जांच की जानी चाहिए। उत्पाद को इसकी समाप्ति तिथि से पटे उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ✓ नीम आधारित घरेलू कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या उनकी अनुशंसित खुराक से अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ✓ उपयोग किए गए कंटेनर और अप्रयुक्त या समाप्त हो चुके नीम-आधारित कीटनाशकों को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार त्याग दिया जाना चाहिए।
- ✓ उपयोग किए गए कंटेनर और अप्रयुक्त या समाप्त हो चुकी नीम-आधारित आयुर्वेदिक दवाओं को **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।